न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(S.D.O.), शिवगंज जिला–सिरोही

बइजलास श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस.

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोंडेंट
1.चुन्नीबाई पुत्री जोराजी पत्नी मोहनलाल जाति सुआर निवासी अरठवाडा तह0 शिवगंज 2.शांति पुत्री जोराजी पत्नी धर्मेशजी जाति सुआर निवासी कोरटा तहसील सुमेरपुर 3. कमला पुत्री जोराजी पत्नी देवारामजी जाति सुआर निवासी पोसालिया तह0 शिवगंज **विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी**		1.सरपंच, ग्राम पंचायत बागसीन 2.जगदीश कुमार उर्फ भोमाराम पुत्र जोराजी जाति सुआर निवासी बागसीन 3.रामलाल पुत्र जोराजी जाति सुआर निवासी बागसीन 4.इंद्रसिंह पुत्र नाहरसिंह जाति राजपूत निवासी बागसीन 5.मोतीसिंह पुत्र नाहरसिंह जाति राजपूत निवासी बागसीन 6.रावतसिंह पुत्र नाहरसिंह जाति राजपूत निवासी बागसीन 7.तहसीलदार शिवगंज **विद्वान अधिवक्ता श्री मदनसिंह राव (2,3)** **विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेशकुमार खण्डेलवाल (4 ता 6)**

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 व
राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम

राजस्व अपील संख्यां–05/2023

– : निर्णय : – **दिनांक 29.10.2025**

उपरोक्त अनवान सदर में अपीलाण्ट ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 व राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 725 दिनांक 15.09.1984 व 2578 दिनांक 26.06.2020 को निरस्त करने का पेश किया गया, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पिता जोरा पुत्र लखमाजी के खातेदारी की कृषि आराजी मौजा ग्राम बागसीन पटवार हल्का बागसीन तहसील शिवगंज में खातेदारी कृषि आराजी आई हुई है जिसके खसरा नम्बर 193 रकबा 12.11 बीघा स्थित है। उपरोक्त वर्णित कृषि आराजी अपीलान्टगण के पिता जोराजी व उनके भाई ओटाजी पुत्रगण लखमाजी जाति सुआर की संयुक्त खातेदारी कृषि आराजी राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं उस अनुसार जोराजी व ओटाजी का उक्त कृषि आराजी पर आधे आधे हक हिस्से के खातेदार कृषक है। जोराजी पुत्र लखमाजी की मृत्यु वर्ष 1983 में हो जाने के पश्चात् जोराजी के वैध वारिसान व उत्तराधिकारी अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 है और उस अनुसार जोराजी की मृत्यु पश्चात् राजस्व रेकर्ड में उनके वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज करना चाहिए था क्योंकि अपीलान्ट हिन्दू है एवं हिन्दू विधि से शासित होते हैं। लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व पटवारी हल्का से मेल मिलाप करके रेस्पोडेन्ट अपीलान्टगण का हक हिस्सा हड़प करने व उनके पिता की सम्पत्ति से वंचित करने के बईरादे से राजस्व कर्मचारियों से मेल मिलापकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने अपने व एक भाई चौनाराम के नाम से नामान्तरकरण दर्ज करवा दिया है एवं चैनाराम ने बाद में अन्य सम्पत्ति देने से अपना हक त्याग कर दिया हैं एवं अपीलान्टगण को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 भाई होने से अविश्वास का कोई कारण नहीं रहा एवं भाईयों ने भी अपनी बहिनों को विश्वास में लेकर कि उनका नाम भी राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा दिया है जिससे बहिन अपने भाई पर विश्वास पर रही इस तरह धोखे में रखकर जो नामान्तरकरण संख्या 725 दिनांक 15.09.1984 को सरपंच ग्राम पंचायत बागसीन व राजस्व अधिकारियो से मेल मिलाप कर जो नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है वह कानूनन शुरू से अवैध व शून्य हैं क्योंकि अपीलान्टगण का हक हिस्सा अपने पिता की सम्पत्ति में कानूनन कायम है एवं उक्त नामान्तरकरण दर्ज होने के आधार पर उनका हक हिस्सा समाप्त नहीं होता है। इस कारण उक्त नामान्तकरण कानूनन अवैध व शून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने पंचायत बैठक के बिना प्रस्ताव पास किये नामान्तरकरण स्वीकृत करने का कोई अधिकार ही नहीं था बल्कि कोई भी कार्यवाही पंचायत बैठक मे प्रस्ताव पारित कर कार्यवाही अमल में लायी जाती है लेकिन नामान्तरकरण की प्रति को पढ़ने से स्पष्टतया जाहिर है कि उसमें बैठक के प्रस्ताव संख्या का कोई उल्लेख नहीं है मात्र घर बैठे जो नामान्तरकरण स्वीकृत किया है वह विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है न ही पटवारी हल्का द्वारा ऐसी कोई जाँच रिपोर्ट पेश की है।

लगातार पेज– 2

उपखण्ड अधिकारी
(सिरोही)

रेस्पोडेन्ट संख्या 3 रामलाल ने गलत नामान्तरकरण का फायदा उठाकर अपने हिस्से की कृषि आराजी 1/4 होना दर्शाते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 4, 5 व 6 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के दिनांक 08.06.2020 को बेचान कर विक्रय विलेख पंजीयन करवा लिया जबकि कानूनन रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का उक्त कृषि आराजी में मात्र 1/10 ही हक हिस्सा कायम था व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा 1/10 हक हिस्से भूमि का बेचान किया जाना कानूनन अवैध व शून्य है एवं ऐसे अवैध दस्तावेज के आधार पर जो नामान्तरकरण संख्यां 2578 दिनांक 26.06.2020 को रेस्पोडेन्ट संख्या 4, 5 व 6 के हक में जो नामान्तरकरण स्वीकृत किया हैं वह कानूनन अवैध व शून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है। क्योकि म्युटेशन के आधार पर कोई हक व अधिकार पैदा नहीं होते है क्योकि जो म्युटेशन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के हक में स्वीकृत किया गया है वह शुरू से ही अवैध व शून्य है और ऐसे अवैध व शून्य म्युटेशन दर्ज होने के आधार पर बेचानकर्ता रामलाल द्वारा जो अपने 1/10 हक हिस्से से ज्यादा भूमि का बेचान किया है और जिस आधार पर जो नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है वह अवैध व शून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है। म्युटेशन एक फिशिकल एन्ट्री हैं जिसके आधार पर कानूनन हक व अधिकार तय नहीं किये जाते है क्योंकि उक्त नामान्तरकरण मृतक जोरा पुत्र लखमाजी की मृत्यु के पश्चात् अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 सभी वैध उत्तराधिकारी पुत्रीया व पुत्र होने से कायम है एवं समान हक व अधिकार प्रत्येक का 1/10–1/10 सम्पत्ति के स्वामित्व हक व अधिकार प्राप्त है। केवल मात्र गलत नामान्तरकरण के आधार पर अपीलान्ट का हक हिस्सा समाप्त नहीं होता हैं एवं गलत नामान्तरकरण दर्ज होने के आधार पर यदि सम्पत्ति का बेचान भी हुआ है तो वह भी कानूनन अवैध व शून्य हैं इस कारण से नामान्तरकरण दर्ज किया गया है वह निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्टगण अंगुठा छाप महिला है जो अपने भाई के ऊपर विश्वास में रही कि उनका नाम भी राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं एवं अपीलान्टगण को उक्त तथ्यो की जानकारी सितम्बर 2021 में हुई जिस पर उनके द्वारा उक्त विक्रय विलेख निरस्ती हेतु एक दिवानी वाद वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश शिवगंज के न्यायालय में पेश किया जो विचाराधीन हैं एवं तत्पश्चात् अधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त कर एवं पटवारी हल्का से जमाबंदी राजस्व रेकर्ड म्युटेशन की नकल प्राप्त की बिना किसी देरी के उक्त अपील पेश की है फिर भी धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से संलग्न है। कानूनन गलत नामान्तरकरण दर्ज होने के आधार पर अपीलान्टगण का अपने पिता की सम्पत्ति में जो हक व अधिकार कायम हैं वह गलत नामान्तरकरण दर्ज होने के आधार पर अपीलान्टगण के हक व अधिकार समाप्त नहीं होते हैं जबकि अपीलान्टगण का अपने पिता की सम्पत्ति में उनका हक व अधिकार कायम है एवं ऐसे अवैध व शून्य तथा प्रभावहीन नामान्तरकरण दर्ज होने के आधार पर अपीलान्टगण अपने अधिकारो के प्रति बंधनकर्ता नहीं है अपीलान्ट के हक में बेचान शून्य व अवैध है इस कारण उक्त नामान्तरकरण कानूनन निरस्त किये जाने योग्य है एवं जो नामान्तरकरण दर्ज किया है वह विधि के विपरित है। श्रीमान् से निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत बागसीन द्वारा स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण संख्या 725 दिनांक 15.09.1984 व म्युटेशन संख्या 2578 दिनांक 26.06.2020 को निरस्त कर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के साथ अपीलान्टगण का नाम नामान्तरकरण में दर्ज करने हेतु तहसीलदार शिवगंज को आदेश पारित करना फरमावें।

अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर किए जाकर रेस्पोडेण्ट को सम्मन जारी हुए। रेस्पोडेण्ट संख्या 4 ता 6 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेशकुमार खण्डेलवाल व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री मदनसिंह राव ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 23.08.2023 को रेस्पोडेन्ट संख्यां 4 ता 6 की और से उनक अधिवक्ता ने धारा 5 म्याद व अपील का जवाब पेश किया। रेस्पों0 सं0 2 व 3 के अधिवक्ता को जवाब पेश करने हेतु समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात भी जवाब पेश नहीं करने से इनके विरूद्ध दिनांक 7.5.2025 को एक तरफा कार्यवाही करते हुए जवाब बंद किया गया। रेस्पों0 सं0 1 व 7 को जवाब पेश करने हेतु समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात भी जवाब पेश नहीं करने से इनके विरूद्ध दिनांक 15.10.2025 को एक तरफा कार्यवाही करते हुए जवाब बंद किया गया। व इसी दिन उभय वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

अपीलांट अधिवक्ता ने बहस में कथन किये कि जोराजी पुत्र लखमाजी की मृत्यु वर्ष 1983 में हो जाने के पश्चात् जोराजी के वैध वारिसान व उत्तराधिकारी अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 है और उस अनुसार जोराजी की मृत्यु पश्चात् राजस्व रेकर्ड में उनके वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज करना चाहिए था क्योंकि अपीलान्ट हिन्दू है एवं हिन्दू विधि से शासित होते हैं।

लगातार पेज-- 3

लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व पटवारी हल्का से मेल मिलाप करके रेस्पोडेन्ट अपीलान्टगण का हक हिस्सा हड़प करने व उनके पिता की सम्पत्ति से वंचित करने के बईरादे से राजस्व कर्मचारियों से मेल मिलापकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने अपने व एक भाई चौनाराम के नाम से नामान्तरकरण दर्ज करवा दिया है एवं चैनाराम ने बाद में अन्य सम्पत्ति देने से अपना हक त्याग कर दिया हैं एवं अपीलान्टगण को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 भाई होने से अविश्वास का कोई कारण नहीं रहा एवं भाईयों ने भी अपनी बहिनों को विश्वास में लेकर कि उनका नाम भी राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा दिया है जिससे बहिन अपने भाई पर विश्वास पर रही इस तरह धोखे में रखकर जो नामान्तरकरण संख्या 725 दिनांक 15.09.1984 को सरपंच ग्राम पंचायत बागसीन व राजस्व अधिकारियो से मेल मिलाप कर जो नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है वह कानूनन शुरू से अवैध व शून्य हैं क्योंकि अपीलान्टगण का हक हिस्सा अपने पिता की सम्पत्ति में कानूनन कायम है एवं उक्त नामान्तरकरण दर्ज होने के आधार पर उनका हक हिस्सा समाप्त नहीं होता है। इस कारण उक्त नामान्तकरण कानूनन अवैध व शून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही कथन किये कि अपीलांटगण को उक्त तथ्यों की जानकारी सितम्बर 2021 में हुई। जिस पर उनके द्वारा उक्त विक्रय विलेख निरस्ती हेतु एक दिवानी वाद वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश शिवगंज के न्यायालय में पेश किया है जो कि विचाराधीन है। अपीलांट अधिवक्ता ने बहस के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये जो निम्नानुसार है–

1–2009 (2)RRT 1102 भंवरसिंह व अन्य बनाम रेवेन्यू बोर्ड व अन्य के निर्णय दिनांक 12.05.2009 माननीय उच्च न्यायालय

2–2009 (1)RRT 467 भंवरलाल व अन्य बनाम मोतीलाल व अन्य के निर्णय दिनांक 15.01.2009 रेवेन्यु बोर्ड अजमेर

3–RRC 1999 page no. 11

4–RRD 1991 page no. 218

5–2023 (2)DNJ 1101 पारसराम बनाम मांगी के निर्णय दिनांक 22.08.2023 रेवेन्यु बोर्ड अजमेर

6–2023 (1)RRT 227 बोगीदेवी बनाम हुलासी व अन्य के निर्णय दिनांक 22.12.2022 रेवेन्यु बोर्ड अजमेर

7–2024 (1)RRT 179 रूकमाकुंवर बनाम सीताराम के निर्णय दिनांक 12.12.2023 रेवेन्यु बोर्ड अजमेर

अपीलांट अधिवक्ता की बहस का खण्डन करते हुए रेस्पों0 सं0 4 ता 6 के अधिवक्ता ने कथन किये कि वर्तमान में मौके पर रेस्पोडेन्ट संख्या दो जगदीश कुमार उर्फ भोमाराम का 1/4 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट संख्या चार इन्द्रसिंह का 1/12 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट संख्या पांच का मोतीसिंह का 1/12 हिस्सा एवम् रेस्पोडेन्ट संख्या छः रावतसिंह का 1/12, छगनलाल पुत्र ओटाजी का 1/4 हिस्सा, मोहनलाल पुत्र ओटाजी का 1/4 हिस्सा पर काबिज होकर शांति पूर्वक काश्त करते आ रहे हैं। जिसकी जानकारी अपीलान्ट को शुरू से रही हैं। अपीलान्ट ने स्वर्गीय जोराजी की मृत्यु के बाद अपना चल व अचल सम्पति में जो भी हक हिस्सा था उसे अपने भाईयो के हक में त्याग कर दिया था तथा अपनी अपनी शादियो के समय अपने माता पिता से अपना हक प्राप्त कर लिया था। अपीलान्ट की शादीयों करीब 30 से 40 वर्षों पूर्व हो चुकी हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या दो व तीन का पिछले 30 से 40 वर्षों से भी अधिक समय से उपरोक्त अपीलाधीन भूमि खसरा नम्बर 193 पर शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या दो व तीन एवम् स्वर्गीय ओटाजी के वारिसान के बीच आपसी पारिवारिक मौखिक विभाजन होकर अलग अलग काबिज होकर काश्त करते रहे हैं। रेस्पोडेन्ट संख्यां तीन ने खसरा नम्बर 193 में से अपना सम्पूर्ण हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या चार लगाय छः को जून 2020 को विक्रय कर मौके पर रेस्पोडेन्ट संख्या चार लगाय छः को भौतिक रूप से कब्जा सुपुर्द किया, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को हैं। मौके पर वर्तमान में रेस्पोडेन्ट संख्यां चार लगाय छः की फसल खड़ी हैं। भू–अधिकार अभिलेखो में भी सम्पूर्ण जांच कर रेस्पोडेन्ट संख्या चार लगाय छः का नाम इन्द्राज किया गया हैं। वर्तमान में उपरोक्त भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या चार लगाय छः क्रमशः 1/12, 1/12, 1/12 हिस्सा पर बतौर खातेदार के काबिज चले आ रहे हैं तथा मौके पर अपीलान्ट की जानकारी में ही रेस्पोडेन्ट संख्या चार लगाय छः द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि तारबंदी की हुई हैं। हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम में दिनांक 09–09–2005 के पश्चात् पुत्रियो को पुश्तैनी सम्पति में अधिकार दिया गया हैं उनसे पूर्व पुत्रियो को सम्पति में अधिकार नही थे। अपीलान्ट की शादीयां भी करीब 30 से 40 वर्षों पूर्व हो गई थी, जिससे पुत्रियां उपरोक्त खातेदारी भूमि में कोई हक प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं हैं। अपीलान्ट अपनी शादी के बाद से ही अपने अपने ससुरल चली गई थी।

लगातार पेज– 4

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

अपीलान्ट द्वारा उपरोक्त खातेदारी भूमि मे से अपना हिस्सा अपने भाईयो को त्याग कर दिया था जिससे भू–अधिकार अभिलेखो में रेस्पोडेन्ट संख्या दो व तीन का नाम जोराजी के स्थान पर बतौर खातेदार दर्ज हुआ हैं। पिछले करीब 30 से 40 वर्षों से उपरोक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या दो व तीन का कब्जा काश्त बतौर खातेदार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। जिससे उपरोक्त नामान्तकरण किसी भी प्रकार से निरस्त होने योग्य नहीं हैं क्योकि अपीलान्ट को उपरोक्त नामान्तकरण स्वीकृत होने की जानकारी वर्ष 1984 से रही हैं। लेकिन अब रेस्पोडेन्ट संख्या तीन द्वारा अपना हक हिस्सा रेस्पों0 सं0 4 ता 6 को बैचान किया जाकर उसका मौके पर भी कब्जा भी उनको सुपुर्द किये जाने के पश्चात बदनियति पूर्वक सदभाविक खरीददार रेस्पों0 सं0 4 ता 6 को परेशान करने हेतु अपील पेश की है। अपीलांट ने उपरोक्त अपील करीब 40 वर्षो के बाद यानि म्याद बाहर पेश की है। जो कि खारिज योग्य है।

उभय वकील पक्षकारान की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया गया कि अपीलांट द्वारा नामान्तरकरण संख्यां 725 स्वीकृति दिनांक 15.09.1984 से व्यथित होकर इस न्यायालय में रेस्पोडेंट के विरुद्ध दिनांक 16.06.2023 को अपील प्रस्तुत की गई है, जो अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपीलांटगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के तहत यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, अपील के पैरा सं0 8 में अपीलांट ने स्वयं यह उल्लेख किया है कि "प्रार्थीगण को उक्त नामान्तरकरण के संबंध में जानकारी सितम्बर 2021 में हुई है जिस पर उनके द्वारा उक्त विक्रय विलेख निरस्ती हेतु दिवानी वाद माननीय सिविल न्यायालय शिवगंज में दर्ज कराया है जो कि विचाराधीन है। जबकि अपीलांट द्वारा उक्त अपील इस न्यायालय में दिनांक 16.06.2023 को पेश की गई है। अतः अपीलांट को उक्त नामांतरकरण की जानकारी सितम्बर 2021 में होते हुए भी अपील इस न्यायालय में इतनी विलम्ब से पेश की है। साथ ही अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत जमांबंदी, राजस्व नक्शा व नामांतकरण सं0 725 की नकल बगैर प्रमाणित पेश किया है जिससे यह जानकारी नहीं होती है कि अपीलांट को उक्त जमाबंदी कब मिली थी। अतः विवादित आराजी के नामान्तरकरण की जानकारी अपीलांट को सितम्बर 2021 में ही हो गई थी, जिससे कानूनन नामान्तरकरण स्वीकृति की जानकारी होने के 30 दिन के भीतर–भीतर अपीलांट द्वारा अपील का पेश किया जाना कानूनन आवश्यक था परन्तु जान बुझकर उक्त अपील करीब डेढ साल बाद पेश की हैं, जो अपील मर्यादा अधिनियम के तहत अवधिपार होने के कारण काबिल खारिज हैं।"

अपीलार्थी की और से प्रस्तुत माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान हैं, लेकिन प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत उक्त प्रकरण की प्रकृति पर पूर्णतया चस्पा नहीं होते हैं इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रार्थीगण संख्यां 1 ता 3 प्रश्नगत नामान्तरकरण के संबंध में अपीलांट को वर्ष 1984 से ही जानकारी रही होगी क्योंकि अपीलार्थीगण ने स्वयं ने अपील में कथन किये है कि उक्त नामांतरकरण की जानकारी अपीलार्थीगण को सितम्बर 2021 में होते हुए भी अपील इस न्यायालय में अपील दिनांक 16.06.2023 को विलम्ब से पेश की है। साथ ही अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत जमांबंदी, राजस्व नक्शा व नामांतकरण सं0 725 की नकल बगैर प्रमाणित पेश किया है जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि अपीलांट को उक्त जमाबंदी कब मिली थी। साथ ही हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम में दिनांक 09–09–2005 के पश्चात् पुत्रियो को पुश्तैनी सम्पति में अधिकार दिया गया हैं उनसे पूर्व पुत्रियो को सम्पति में अधिकार नही थे। अपीलान्ट की शादीयां भी करीब 30 से 40 वर्षों पूर्व हो गई थी, जिससे पुत्रियां उपरोक्त खातेदारी भूमि में कोई हक प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं हैं। अपीलान्ट अपनी शादी के बाद से ही अपने अपने ससुरल चली गई थी। अतः प्रार्थी अपीलार्थीगण ने प्रश्नगत नामान्तरकरण की जानकारी के पक्ष में कोई ठोस दस्तावेज पेश नहीं करने व अपील अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है साथ ही प्रार्थी अपीलार्थीगण ने धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि के प्रत्येक दिन का कोई युक्तियुक्त कारण भी नहीं दर्शाया है ऐसी स्थिति में, प्रार्थी अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने व साबित नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

लगातार पेज– 5

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

अपील सं0 05/2023
चुन्नीबाई व अन्य बनाम सरपंच बागसीन व अन्य
अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट व 5 म्याद अधिनियम

—::आदेश::—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम विरुद्ध अप्रार्थीगण सारहीन होने एवं भलीभांति साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। तदनुसार अपील अपीलार्थीगण अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रत्यर्थीगण को भी मियाद बाहर होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्यां से कम होकर दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय/आदेश आज दिनांक 29 अक्टूबर 2025 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)